



Airports Authority of India
Civil Airport Jammu

E- TENDER DOCUMENT

For

Contract for Kashmiri Traditional Packaged Food
Retail Store in SHA first floor at Civil Airport, Jammu.

Prepared By:

Appoved by:

**Cost of Documents (Non Refundable) – Rs. 2000/- (Rupees Two Thousand only)
Inclusive of all taxes**

E-Tender Document No. AAI/Coml./JU/SHA/1388

**Subject: Contract for Kashmiri Traditional Packaged Food Retail Store in SHA first floor
at Civil Airport, Jammu.**

S.No	Particulars	No. of Sheets	Page No.
1	Notice Inviting Tenders	3	3-5
2	E-Tendering guidelines to the bidders	2	6-7
3	General Information & Guidelines	5	8-12
4	Unconditional Acceptance letter	1	13
5	License Agreement	4	14-17
6	Schedule of Premises	1	18
7	General Terms & Conditions	5	19-23
8	Floor Plans	1	24
9	Declaration under CLAUSE 3 (f)(i) (ii) & (k) of General Information / Guidelines of NIET Annexure- A	1	25
10	Declaration under CLAUSE 3 (i)& (j) of General Information / Guidelines of NIET Annexure-B	1	26

(Signature of Issuing Authority)

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender in the prescribed form duly sealed are hereby invited for granting license for the following: at Civil Airport Jammu.

Name of Facility with its location	Earnest Money Deposit (Rs.)	Minimum Reserve Licence Fee (per month)	COST OF TENDER
Contract for Kashmiri Traditional Packaged Food Retail Store in SHA first floor at Civil Airport, Jammu.	Rs. 85200/-	Rs. 71000/-	Rs. 2000/-

Notes:-

- a) Offers below MRLF will not be considered for award.
 - b) The Quoted licence fee against MRLF shall be subject to annual compound escalation @ 10% for subsequent years or as decided by AAI from time to time.
 - c) The Party quoting the highest amount, i.e. H-1, shall be awarded with the contract.
 - d) The successful tenderer is liable to pay additionally all Govt. Taxes including GST (presently @18%) applicable at the rates declared by Govt. of India / State Govt. / Union territory from time to time on the quoted licence fee.
 - e) The party shall also pay electricity water charges etc. during the licence period.
 - f) **The licensee shall be allowed to sale only the dry fruits produced/grown/processed in the state of J&K.**
 - g) **Gestation period of Sixty (60) days from award or actual commencement of commercial operation whichever is earlier, will be permitted. The gestation period will be counted from the date of award.**
 - h) **The area for the said facility shall be approx. 11 Sq.mtr in Security Hold Area in First Floor or as decided by AAI. However this would be subject to actual joint measurement of site.**
1. The period of license shall be for Five (05) Years.
 2. **The parties fulfilling the criteria as per NIT are eligible to participate in the tenders:-**
 - a. **The Parties having same type of business during the last three years are eligible for participation.**
 3. Only one tender document shall be sold to a single party either a firm or an individual. The proprietor of more than one company or firm will be considered as single party and one legal entity.
 4. Any party either a firm or an individual falling under the following categories is not eligible
 - a. Debarred/black listed by CBI or AAI or Undertakings/Departments like; Railway, Defense, or any other Department of Govt. of India, State Govt. Deptt. Of Commercial at RHQ/Airports is to maintain records of such debarred/black-listed parties in consultation with Vigilance Deptt., at

CHQ. In this regard, Deptt. of Vigilance at Hqrs. may forward an updated list to the Regions/Airports. A declaration to this effect is also to be obtained from the party submitting the tender documents.

- b. Parties facing action under PPE Act, with AAI.
 - c. Parties either an individual or a business establishment, who has been ordered by a Court of Law to pay the outstanding dues of AAI at any of the airports as a whole and has not paid such dues to AAI, shall also not be eligible for the tender.
5. E-Tender documents indicating details can be seen in the e-tender documents uploaded on the AAI e-tender portal www.aai.aero and government portal <https://etenders.gov.in>. The e-tendering process is online only at e-portal URL address <https://etenders.gov.in>. Tenderers are requested / advised to get themselves acquainted for e-tendering participation requirement themselves at e-tendering portal mentioned above. Clarification needed, if any may be sent through e-tendering portal only.
6. . Tender fee (Non-Refundable) of Rs. 2000/- in respect of cost of the Tender Document will be required to be paid by way of offline payment in the form of Demand Draft (DD) (Date of issue should be later than date of publishing of the Tender). The DD must be in favor of Airports Authority of India payable at Jammu.
- a. Scanned copy of Tender Fees duly digitally signed to be uploaded in Cover No./Envelope – I by stipulated date and time mentioned in the critical dates.
 - b. Original hard copy of Tender Fee as required, in sealed Envelope should be submitted by the bidders in the office of Commercial, Civil Airport, Jammu - 180003 by stipulated date and time mentioned in the critical dates.
 - c. Postal delay, if any or not receiving of original Tender fees by the stipulated date and time, the tender will be summarily rejected.

E-bids shall be submitted in two bid system as follows:

- (i) Technical bid – Earnest money deposit (EMD) and other documents as required under clause 3 of general information / guidelines of Notice Inviting Tender.
- (ii) Financial Bid – As required under clause 4 of general information / guidelines of Notice Inviting Tender.

7. The important dates for the tender are as follows

1.	Publishing Date	:	01.08.2017 (From 1800 Hrs.)
2.	Bid Document Download/Sale Start Date	:	01.08.2017 (From 1800 Hrs.)
3.	Clarification Start Date	:	07.08.2017 (From 1800 Hrs.)
4.	Bid Submission Start Date	:	07.08.2017 (From 1800 Hrs.)
5.	Clarification End Date	:	16.08.2017 (Up to 1100 Hrs.)
6.	Bid Document Download/Sale End Date	:	21.08.2017 (Up to 1700 Hrs.)
7.	Bid Submission End Date	:	23.08.2017 (Up to 1800 Hrs.)
8.	Bid Opening Date: Cover/Envelope- I	:	30.08.2017 (Up to 1500 Hrs.)
9.	Bid opening Date: Cover/Envelope-II (Price Bid)		Date & time of opening of financial bids shall be intimated separately/ subsequently only to the technically qualified bidders.

- 8 AAI reserves to itself the right to reject the conditional tenders without assigning any reason thereto.
- 9 AAI reserves to itself the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof and to call for any other detail or information from any of the tenderer(s).

**Airport Director,
Airports Authority of India,
Civil Airport, Jammu**

Annexure A

CPPP under GePNIC, Help Desk Services

1. For any technical related queries please call the Helpdesk. The 24 x 7 Help Desk Number 0120-4200462, 0120-4001002

Note- Bidders are requested to kindly mention the URL of the Portal and Tender Id in the subject while emailing any issue along with the Contact details. For any issues/ clarifications relating to the tender(s) published kindly contact the respective Tender Inviting Authority.

Tel:0120-4200462, 0120-4001002.

Mobile: 91 8826246593

E-Mail: support-eproc@nic.in

2. For any Policy related matter / Clarifications Please contact Dept of Expenditure, Ministry of Finance.

E-Mail: cphp-doe@nic.in

3. For any Issues / Clarifications relating to the publishing and submission of AAI tender(s)

a. In order to facilitate the Vendors / Bidders as well as internal users from AAI, Help desk services have been launched between 0800-2000 hours for the CPPP under GePNIC <https://etenders.gov.in>. The help desk services shall be available on all working days (Except Sunday and Gazetted Holiday) between 0800-2000 hours and shall assist users on issues related to the use of Central Public Procurement Portal(CPPP).

b. Before submitting queries, bidders are requested to follow the instructions given in “Guidelines to Bidders” and get their computer system configured according to the recommended settings as specified in the portal at “System Settings for CPPP”.

4. In case of any issues faced, the escalation matrix is as mentioned below:

SL. No.	Support Persons	Escalation Matrix	E-Mail Address	Contact Numbers	Timings*
1.	Help Desk Team	Instant Support	eprochelp@aai.aero	011-24632950, Ext-3512(Six Lines)	0800-2000 Hrs. (MON - SAT)
2.	Jr.Exe.(IT)	After 4 Hours of Issue	sanjeevkumar@aai.aero	011-24632950, Ext-3505	0930-1800 Hrs. (MON-FRI)

3.	AGM(IT)	After 12 Hours	snita@aai.aero	011- 24632950, Ext-3523	0930-1800 Hrs. (MON-FRI)
4.	Jt. General Manager(IT)	After 24 Hours	ykkaushik@aai.aero	011- 24651507	0930-1800 Hrs. (MON-FRI)
5.	General Manager(IT)	After 03 Days	gmitchq@aai.aero	011- 24657900	0930-1800 Hrs. (MON-FRI)

***The Helpdesk services shall remain closed on all Govt. Gazetted Holidays.**

5. The above mentioned help desk numbers are intended only for queries related to the issues on e-procurement portal and help needed on the operation of the portal. **For queries related to the tenders published on the portal, bidders are advised to contact concerned Bid Manager of AAI**

General Information & Guidelines

1. Tender documents are not transferable.
2. 'Technical Bid' must be sealed in Envelope 'A' and 'Financial Bid' in Envelope 'B' and both the Envelopes are to be sealed in 'Master Envelope'.
3. Envelope 'A', which shall be opened first, shall contain the basic documents specified as under:
 - a. Details of the concern and legal status that is whether it is sole proprietor, partnership firm or a company under the Companies Act.
 - b. Self attested copies of the PAN card, GST. In case any or all the provisions mentioned above are not applicable, the party should give a declaration to that effect. Non submission will not be considered as exemption. AAI reserves the right to confirm the legal applicability of the provisions before accepting the declaration of non applicability as submitted by the party.
 - c. Copies of (duly audited and certified by a chartered Accountant) Profit and Loss Account/ Balance sheet of the sole proprietor concern or a partnership firm, Annual Report in case of a company as per the companies Act
 - d. Self attested copies of Memorandum and Articles of Association in case of Companies and Partnership deed in case of firms and approved by- laws in case of co-operative societies.
 - e. **Earnest Money Deposit of Rs. 85200/- (Rupees Eighty Five Thousand Two Hundred Only)** should be in the form of pay order/Demand Draft in favour of “ Airports Authority of India” payable at Jammu.
 - (a) Scanned copy of EMD duly digitally signed to be uploaded in Cover No./Envelope – I by stipulated date and time mentioned in the critical dates.
 - (b) Original hard copy of EMD as required in sealed Envelope should be submitted by the bidders in the Commercial office, Civil Airport, Jammu – 180003 by stipulated date and time mentioned in the critical dates.
 - (c) Postal delay, if any or not receiving of original EMD by the stipulated date and time, the tender will be summarily rejected.
 - f. No dues certificates from AAI.
 - (i) Self declaration of dues.
The party should submit the details of contracts held (current and past) at all AAI controlled airports and offices and the details of disputed and undisputed dues there on along with the details of Security Deposit and mode of Security Deposit. **(as per Annexure- A)**
 - (ii) No dues certificate from AAI.

The party should also enclose the no dues certificate issued by AAI in respect of all airports under its control.

Only signed certificate will be valid. Photocopy of the signed certificate to be attested by the party at the time of tender submission.

- g. Form of unconditional acceptance duly signed. (enclosed as **Annexure XI** along with tender documents).
- h. Copies of documents required **as per NIT**.
- i. Declaration giving the particulars of contracts undertaken by the party at different stations of AAI. The details of blacklisting or debarring effected by AAI, or any Government of India department, any Central or state public sector undertakings. **(NIL statement to also be filed)**.(as per **Annexure B**)
- j. Declaration of cases/ action under PPE Act initiated by AAI. **(Nil Statement to also be filed)**. (as per **Annexure B**)
- k. Declaration giving the details of outstanding dues (disputed and undisputed). (as per **Annexure A**)
- l. Documentary proof of Experience criteria as mentioned in the NIT.

Important: - AAI reserves the right to verify, refer any document to the concerned authority for confirmation from case to case basis. Mere submission will not bind AAI to accept the documents as valid for opening of financial bid.

4. Envelope B (Financial Bid)

- a. The envelope B should contain only the financial bid in the approved form.

5.

- a) A sole proprietor having concerns under different names will be considered as a single legal entity. PAN card will determine the single entity criteria hence will be the basis for decision.
- b) In case of partnership firms, as it does not have any legal entity on its own, hence if two or more firms are having common partners then all these firms will be considered as single entity. The principle of implied agency of partner as per the Partnership Act of India has been taken as the guiding principle. Since the provisions are different in Tax laws hence different PAN card will not entitle the

firms having common partners to be treated as separate entity for the purpose of commercial contracts in AAI.

- c) In case of Companies, if the holding company and its subsidiary are participating in the same tender then a disclosure to this effect to be made at the time of application for tender form. Also it will be mandatory for them to submit the basis and proof of the relationship during the technical bid stage.
 - d) In case a Foreign Company and its wholly owned Indian subsidiary (WOS) Company are participating in the same tender then a disclosure to be made during the application stage. Also it will be mandatory for them to submit the basis and proof of the relationship during the technical bid stage.
6. Tenderer(s) should clearly indicate the name & address of their Firm/ Company/Individual, as the case may be, on both the Envelope and should clearly indicate the name of the facility for which tender(s) have been invited.
7. It may be noted that the Earnest Money Deposit of the successful bidder may be forfeited and the bidder may be debarred for further participation in AAI's tender(s) for a period of three years, on account of non-completion of the following:
- (a) Acceptance of the offer within 10 days;
 - (b) Payment of advance licence fee for one month within 15 days from the receipt of the award letter;
 - (c) (i) Payment of Security Deposit equal to 6 months of quoted licence fee (applicable to the last year of contract) in the form of Demand Draft / Pay order/ Bank Guarantee of a Nationalised/Scheduled Bank in favour of Airport Director, AAI, Jammu Airport within 15 days for the licence and;

(ii) Payment of Security Deposit equal to 10% of last years annual Licence fee for electricity/water/telephone etc.
 - (d) Execution of the Agreement within 15 days; and
 - (e) Commencement of the facility within 60 days of award or operation of Aerobridges(PBB) whichever is later**
8. Tender(s) will remain valid for a period of 180 days from the date of opening of the Financial Bid in Envelope 'B'. If any tenderer withdraw during the validity period, his Earnest Money Deposit will be forfeited. However, the tenderer(s) can withdraw their Earnest Money Deposit after the validity is over or may extend the validity of their tender(s) with the consent of AAI.
9. The tenderer(s) shall give the list of his near relatives employed in AAI.
10. The successful bidder shall intimate the names of the persons employed by him or going to employ, who are near relatives* of AAI employees.

11. Any breach of the conditions stated above by the successful tenderer(s) shall be dealt as follows:

- a. If a party after the award letter is issued does not complete the formalities of acceptance or does not commence the operation of the facility on the commencement date specified or does not sign the agreement within the prescribed date then the contract is liable to be terminated by AAI and the EMD received will be forfeited. The party will also be debarred from participating in any tender of AAI for a period of one (1) year.
- b. If any contract is terminated due to any illegal activity which is punishable under any of the Laws of the Land then the party will be debarred till the case is cleared by the concerned legal authority of the land. In case any penalty or fine is imposed by the concerned authority then the party will be debarred till he obtains a clearance form the concerned authority.
- c. If at any stage, AAI finds that the party had submitted any false/wrong/concealment of information/document affecting eligibility criteria of the facility in such case, EMD shall be forfeited and party is liable to be debarred for three (3) years for participation in AAI tenders.

12. Exit Clause in this contract shall be as follows:

- a. **Normal Termination:-** The contract will deem to be terminated on the last date as given in the agreement provided the extension or renewal is approved by the competent authority on or before the last date and communicated to the party in writing and duly accepted. The liability of the party will continue to be payable along with the delayed interest (at the rate mentioned in the contract.) till the same is settled. The contractor cannot claim the dues to be time barred or *ultra vires* even if after the contract is deemed to have terminated by operation of this clause.
- b. **Termination for cause:** If the party or AAI has invoked the internal dispute resolution clause (as per which the dispute referred to the DRC is to be complete within a period of 45 days) and the same remains unresolved after the specified time period, it will be deemed that the notice period for the termination has commenced from the next date within which the dispute should have been resolved. No extra notice need be served by either party and the contract will terminate after the expiry of the notice period. If such termination happens to fall within 50% of the contract period then the party is liable to pay AAI the value of license fee equal to the amount of current license fee for the six months as demurrage charges. The agreement should also provide for invocation of arbitration clause only after the internal dispute mechanism has been exhausted. However, the notice for termination will deem to have commenced irrespective of the arbitration proceedings.
- c. **Termination for convenience:** Either party, AAI on one part and the contractor

on the other part can serve the notice for termination by giving the requisite notice period. The notice by AAI to be served only after obtaining the approval of the acceptance authority. Similarly the notice given by the party should be approved by the acceptance authority. However the date on which notice was received at AAI will be the commencement of the notice period and the administrative time required for the approval will not be added. If the party has served the notice, then the party is liable to pay demurrage charges. The demurrage charges will be equal to the amount of six months current license fee if the termination occurs before the 50% period of the original contract. The period of 6 months will be reduced to 4 months if the contract period served exceeds the 50% period but is less than 75%. If the period served exceeds 75% and the period remaining is more than the required notice period for normal termination the demurrage will be equivalent to 3 months license fee.

13. All the above guidelines will form part & parcel of the Notice Inviting Tenders (NIT).
14. AAI reserves itself the right to extend the date of receiving/opening of the bids as well as to extend the validity of the tender.
15. AAI reserves right to reject any or all tender(s) in part or in full without assigning any reason.

***Note: "By the term 'near relative is meant wife, husband and dependent parents, grand parents, children, grand children, brothers, sisters, uncle, aunts, cousins and their corresponding in laws".**

ANNEXURE-XI

DUPLICATE COPY TO BE SUBMITTED IN COVER NO.1
ACCEPTANCE LETTER
(TO BE SUBMITTED IN COVER NO.1)
Refer Clause 8 of Notice Inviting Tender

To,

The Commercial in Charge
Airports Authority of India
Jammu Airport

Subject: - ACCEPTANCE OF AAI'S E-TENDER CONDITIONS

Sir,

- 1 The tender documents for **Contract for Kashmiri Traditional Packaged Food Retail Store in SHA first floor at Civil Airport, Jammu.** have been provided to me/us by Airports Authority of India and I/We hereby certify that I/We have inspected the sites and read the entire terms and conditions of the tender documents made available to me/us. Which shall form part of the contract agreement and I/We shall abide by the conditions /Clauses contained therein.
- 2 I/We hereby unconditionally accept the tender conditions of AAI's tender documents in its entirety for the above facility.
3. The contents of Clause 8 of Notice Inviting Tender of the Tender Documents have been noted wherein it is clarified that AAI reserves the rights to reject the conditional tenders without assigning any reason thereto.
4. I/We declare that I/We have not paid and will not pay any bribe to any officer of AAI for awarding this contract at any stage during its execution or at the time of payment of bills and further if any officer of AAI asks for bribe/gratification, I/We will immediately report it to the appropriate authority in AAI.
5. The required earnest money for this facility is enclosed herewith.

Yours Faithfully,

Date:-

(Signature of the Tenderer)
With rubber stamp

LICENCE AGREEMENT

SUBJECT: Contract for Kashmiri Traditional Packaged Food Retail Store in SHA first floor at Civil Airport, Jammu.

THIS AGREEMENT made this _____ day of _____ Two Thousand _____ between the Airports Authority of India, a body corporate constituted by the Central Government under the Airports Authority Act (Act _____ of 1994) and having its corporate office at _____ and offices at all the Airports in India represented by _____ hereinafter called the 'Authority' (which term shall, unless excluded by or is repugnant to the context, be deemed to include its Chairman, or Member, Executive Directors, Airport Directors, Officers or any of them specified by the Chairman in this behalf, and shall also include its successors and assigns) of the one part, and _____ represented by _____ of the other part, hereinafter called the 'Licensee' (which term shall unless excluded by or is repugnant to the context, be deemed to include its heirs, representative, successors and assigns of the Licensee).

WHEREAS the Authority is entitled in 'Law' to grant licence at its Jammu Airport for the purpose of **Operating Kashmiri Traditional Packaged Food Retail Store in SHA first floor** so as to provide amenities and facilities to the passengers and visitors at airport and is in possession of space, more fully described in the schedule hereunder and in the plan annexed to this agreement, hereinafter referred to as the premises.

WHEREAS the Licensee is desirous to render the services to the Authority on the terms & conditions mentioned hereunder:

AND WHEREAS the Authority is agreeable to grant the licence. NOW, THEREFORE, this indenture witnesseth:

1. That the licence for the said facility shall be valid for the period of **Five Years** from _____ to _____ unless terminated earlier on account of following:
 - (a) By giving **120 days notice** in writing from either side without assigning any reason.
 - (b) Terminated by AAI on a short notice on account of un-satisfactory performance.
 - (c) Termination on expiry of the specified time period allotted for unresolved internal dispute resolution
2. That in consideration, Licensee shall pay the Authority every month in advance by way of licence fee on or before 10th day of English calendar month as under:

Years	Amount of Monthly License fee	Additional Percentage/ Royalty
1st Year	-----	-----
2nd Year	-----	-----
3rd Year	-----	-----
4th Year	-----	-----
5th Year	-----	-----

3. That in addition to the above said licence fee, Licensee shall pay all charges towards consumption of electricity and water as may be due as determined by the Authority and at the rate(s) fixed by it from time to time. Such charges shall be paid within the date(s) specified in the bill(s). The Licensee shall have to provide his own meter(s) for the purpose, failing which Licensee shall be billed on assessed consumption. In default of payment of said charges, the Authority may without prejudice to its other rights disconnect or cause to be disconnected the water and electricity to the said premises without any notice and the Licensee shall not be entitled to any compensation whatsoever on account of any such disconnection.
4. That the Licensee shall pay all rates, assessments, out goings and other taxes as leviable on the Licensee in 'Laws'.
5. That the Licensee shall make payment of licence fee etc. by cheque/demand drafts drawn on local banks. No outstation cheque shall be accepted in payment of licence fee etc.
6. That in the event of failure to pay the licence fee and other charges by due dates, simple interest @ 12% per annum be payable, as per AAI credit policy, on all delayed payments without prejudice to the Authority's other rights and remedies.
7. That the Licensee shall deposit a sum of Rs._____ (Rupees_____) i.e. an amount equal to last **06 months** licence fee as Security Deposit in the form of Demand Draft/ Pay order/Bank Guarantee from a Nationalised/Scheduled Bank in favour of Airports Authority of India. In the event of outstanding dues exceeds one month, the Authority may without prejudice to other rights and remedies be entitled to charge penal interest @12% per annum on delayed payment for the first month and thereafter @ 18% per annum for maximum of two months thereafter. During this period, the licensee shall be issued notice for clearance of outstanding dues. If the licensee fails to clear the dues within the said period of two (2) months, the contract shall be terminated and the dues alongwith penal interest shall be adjusted from the Security Deposit, without grant of any extension whatsoever.
8. That the Licensee shall deposit in cash/Pay order Rs._____ (Rupees_____only) as Security Deposit towards Electricity Charges.
9. That the Licensee shall equip himself with all necessary permits, licences and such other permissions as may be required under the law in force at any time with regard to the operation of the subject licence.
10. That the Licensee shall maintain such regular and proper account books along with other supporting documents regarding sales effected by the Licensee in the said premises and said accounts/documents shall all the times be kept open for inspection by Authority in such manner as may be prescribed. The Licensee shall provide to the Authority, if so required by the Authority, Statements of audited Accounts in such

manner and within such period as the Authority may prescribe. Licensee shall be liable to share invoicing details live with AAI.

11. That the Licensee shall have no right to object as and when the Authority decides to grant additional Licence for similar Facility at the airport premises where the Licensee is rendering such services.
12. That Authority shall provide bare space for the subject services and other expenses of any kind for establishment and rendering of the services shall be incurred by the Licensee. However, provisions of electricity, water and drainage connections, as the case may be, if so required, for the smooth operation of the services shall be provided by the Authority.
13. All the times during the currency of the licence agreement, it shall be the responsibility of the licensee to obtain proper fire insurance coverage including theft and burglary in respect of all the movable and immovable assets stored or used in the licensed premises and authority shall not be responsible for any loss or damage caused to the licensee on any accounts whatsoever.
14. That Licensee shall operate the subject facility by charging the rate from users, as may be approved in advance by the Authority. Licensee shall exhibit the said approved charges at a conspicuous place inside the licensed premises.
15. That the Authority reserves to itself the right to change the location of the premises at anytime and may at its discretion, call upon the Licensee to vacate the site and may give him an alternative premises for the purpose of this licence. In such a case, the Licensee shall be bound to vacate the premises immediately and accept the said alternate premises. The entire expenditure on such shifting shall be borne by him and the licensee shall not be entitled to claim any compensation or revision in the licence fee on that score.
16. The Licensee shall use the premises for the bonafide purpose as provided in the Agreement, more particularly described in the enclosed schedule, for the use of all passengers and bonafide visitors to the Airport and Officers of the Authority and the staff of various Airlines using the Airport and for no other purpose.
17. The Licensee shall not erect or display any advertisement or signboards except after obtaining the prior approval in writing of the Authority.
18. The Licensee shall not terminate the licence before the expiry of the period of the licence except by giving **120 days notice** in writing, otherwise the Licensee shall be liable to pay to the Authority (without any demur or question) such amount of money as the Authority may decide as due to it by the Licensee. **For closure of contract before completing the full term of the agreement exit clause given in the NIT shall apply.** The licence

can be terminated by the Authority by giving 120 days notice in writing without assigning any reason thereto.

19. In the event of any default, failure, negligence or breach, in the opinion of the Authority on the part of the Licensee in complying with all or any of the conditions of the licence agreement, the Authority will be entitled and be at liberty to determine the licence forthwith and resume possession of the premises without payment of any compensation or damages and also forfeit in full or in part the amount deposited by the Licensee for due performance of Agreement.

20. The Authority and the Licensee further agree that they are bound by the General Terms & Conditions found in Annexure 'X' annexed hereto.

21. The tender document, NIT, General Terms & Conditions, schedule of premises, Award / Allotment letter, handing over/taking over Note shall also form part and parcel of this agreement and the licensee and the Authority are bound by the same.

SIGNED BY _____, AIRPORT INCHARGE AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA, _____ AIRPORT FOR AND ON BEHALF OF THE AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA, IN THE PRESENCE OF;

WITNESS:

- 1.
- 2.

SIGNED BY _____ FOR AND ON BEHALF OF _____ IN THE PRESENCE OF:

WITNESS:

- 1.
- 2.

SCHEDULE OF PREMISES

Space Measuring : 11.00 Sq.mtrs (approx)

Location at : First Floor in Security Hold Area at Civil Airport, Jammu.

Purpose : Contract for Kashmiri Traditional Packaged Food Retail Store

GENERAL TERMS & CONDITIONS

The Authority hereby covenants with the Licensee as follows:

1. The Licensee, his servants and agents shall be entitled to use all ways, paths and passages as may from time to time be maintained on the said airport ground subject to such rules and regulations as may be imposed by the lawful authorities of the airport ground.
2. The Licensee paying the licence fee and performing the covenants herein contained and on his part to be performed shall and may peacefully possess and enjoy the premises with use of the ways, paths and passages as aforesaid during the said term without any lawful interruption from or by the Authority or any person claiming under the Authority.
3. Any notice required to be served on the Licensee under this Agreement shall be deemed to have been served if delivered at or sent by registered post to his last known address or to his authorised representative or agent Similarly, any notice to be given to the Authority under this agreement shall be deemed to have been served if delivered at or sent by Registered post to the Authority who should invariably acknowledge the notice.
 - (a) The period of notice given under this Agreement will count from the date of receipt of notice by either side.
4. Subject as herein before otherwise provided, all notices to be given on behalf of the Authority and all other actions to be taken on behalf of the Authority, may be given or taken on behalf of the Authority by the Airport Director of the Airport or by any other officer for the time being authorised by or entrusted with the functions, duties and powers of the said Airport Director, in respect of the airport under his charge.
5.
 - (a) The Licensee shall not, unless with the written consent of the Authority, create a sub- contract of any description with regard to this licence or any part thereof, nor shall be without such written consent as aforesaid, assign or transfer his licence or any part thereof.
 - (b) The Licensee shall use the premises only for the purpose indicated in this Agreement and for no other purpose whatsoever.
6. The Licensee his agents and servants shall observe, perform and comply with all rules and regulations of the Shop and Establishment Act, Factories Act, Industrial Disputes Act, Minimum Wages Act and the provisions of any statutory law applicable to the Licensee including any rules and regulations made by the Authority, Civil Aviation Department or any other Department of Government and or local body or administration in force from time to time and to the business which the Licensee is allowed to carry on under this Agreement and to the area in which the said premises are located.
7.
 - (a) The Licensee shall indemnify the Authority from/against any claims made or damages suffered by the Authority by reason of any default on the part of the Licensee in the due observance and performance of the provisions of any law which may be related to the purpose of this Agreement and to the area in which premises are located.
 - (b) The Authority shall not be responsible in any way for loss or damage by any means causes to the Licensee's stock or property.
8. The Licensee shall at his own cost maintain the premises in a proper state of cleanliness and abide by such directions as may be given by the Authority and such other departments as may be entrusted by the rules and regulations with the works of inspection and enforcement about the conditions of sanitation cleanliness and hygiene. If the premises is not maintained in reasonably clean condition by the licensee, Airport in-charge shall have powers to get the premises cleaned at the risk and cost of the Licensee and recover liquidated damages at the rate of Rs. 500 per

day for each default up to 7 days and thereafter Rs. 1000/- per day and can take other actions including termination of the license.

9. The Licensee shall comply with the requirements of all standard health clauses including those given below:
 - a) The Airport Health Officer/Medical Officer of AAI or persons authorised by them may without notice, enter the premises any time and inspect the premises, materials, instruments and implements etc. used by the Licensee.
 - b) All the instructions given by the Airport Health Officer/Medical Health Officer of AAI or any persons authorised by them in the maintenance of public health of the Airport including sanitation control prevention of infectious diseases, control and prevention of nuisance from insects, rodents, or any other source, shall be carried out by them and his agent and servants.
 - c) The Licensee shall notify to the Airport Health Officer whenever any person working under him is suffering or suspected to be suffering or convalescing from any infectious disease. The Airport Health Officer may medically inspect the said person or any person who is suspected to have been in contact with the person and take any precautionary and preventive measures considered necessary.
 - d) The Licensee his agents and servants shall not without consent of the Airport Health Officer, interfere with injure, destroy or render useless any work executed or any materials or things placed in, under or upon any land or building by or under the orders of the Airport Health Officer with the object of preventing the breeding or entry of mosquitoes or maintenance of sanitation.
 - e) The Licensee, his agents and servants shall not abuse the water sources, and drainage facilities in the airport area so as to create a nuisance or insanitary situation prejudicial to public health.
 - f) In the event of any default, failure, negligence or breach in the opinion of the Authority, on the part of the licensee in complying with either of these conditions specified in the foregoing sub-clause (i) to (v), the Authority will be entitled and be at liberty to determine the Licensee forthwith and resume a possession of the premises without payment of any compensation or damages and forfeit in full or in part the amount deposited by the Licensee for due performance of the Agreement.
10. The Licensee shall employ only such servants as shall have good character and as well behaved and skillful in their business. He shall furnish the Authority in writing with the names, parentage, age, residence and specimen signature or thumb impression of all servants whom he proposes to employ for the purpose of this Agreement before they are so employed and the Authority shall be at liberty to forbid the employment of any person whom it may consider undesirable. The servants employed by him shall be under the general discipline of the Authority and shall conform to such directions as may be issued by the Authority in respect of points or routes of entry to and exit from the premises and in respect of the use of toilet and wash rooms. He shall also have the Character of all persons employed by him verified by the police to the satisfaction of the Authority, before the employment.
11. (a) The Licensee would be required to install adequate number(as may be decided by Fire Officer or any other authorised Officer of AAI depending upon the area of the licensed premises) of minimum a 2.5 Kg. CO₂ fire extinguisher in the licensed premises at his cost before commencement of business.
 - (b) No wooden partition/inflammable materials shall be permitted in the licensed premises. The material to be used for partition/fabrication of the shop/office premises shall be as per the specification given by AAI and to be got approved by AAI in advance.
 - (c) Licence shall not use a naked light or cause or permit any such light to be used in the licensed premises.

12. The Licensee shall not damage the premises for any part of the Airport premises and in the event of any damage being caused to the same intentionally or otherwise, by the Licensee, or his employees or invitees or customers, the Authority shall be entitled to repair the damage or make the requisite replacement and call upon the Licensee to replacement and call upon the Licensee to reimburse cost thereof which the Licensee undertakes to pay forthwith on demand.
13. The Licensee shall not store or bring or keep in the premises heavy articles so as to injure or damage the premises or keep goods of combustible or inflammable nature unless required for executing the licence.
14. (a) The Licensee shall not use electrical heater, toaster and other allied appliances in the premises for preparation of tea, coffee and for heating of food etc. unless specifically provided under the Agreement to perform contractual obligations.

(b) The Licensee hereby agrees to provide necessary training to the employees posted in the licensed premises for handling fire extinguisher as provided in the terminal/licensed premises. The Licensee will, during the continuance of this licence insure against any claim for workmen's compensation or otherwise of all persons employed by him in connection with his business to be carried on as aforesaid with such insurance company as the Authority shall approve of and shall produce for inspection on demand by the Authority all policies in respect thereof and the receipts from time to time for current premium.
15. In the case of such breach of the terms of this licence as minor offenses and complaints coming to its notice for which in the opinion of the Authority this Agreement need not be terminated, the Authority may at its discretion recover compensation from the Licensee up to the limit of the security deposit of the Licensee. The decision of the Authority in this respect will be final and binding on the Licensee.
16. The Licensee shall not hold or permit to be held any public or private auction in the licensed premises.
17. The Licensee shall sell articles in the premises at prices which shall be marked on the articles or on tags attached thereto and it shall not be in excess of the retail prices/fair prices fixed by the manufacturers or Government or any other local authority whichever is lower or controlled price in case such controlled price has been fixed by any authority and in all other cases, not exceeding the reasonable market rates for similar goods. The Authority can after giving reasonable opportunity to the Licensee to show cause, itself fix the price of any article or articles, if, in its opinion, the prices charged are unreasonable or exorbitant and there upon the Licensee shall sell only at the price so fixed by the Authority and he/she shall also be liable to refund to any customer any amount in excess paid by such customer for any articles in excess of the price so fixed.
18. It shall be obligatory for the Licensee to keep in stock and in case they are intended for distribution, distribute the same and display, literature, produced and released by the Publication Division of Government of India and/or Tourism Department of the Central Government or of the State Government within whose jurisdiction the Airport is situated on such terms & conditions as may be fixed by the said Publications Division or said Tourist Department.
19. The Licensee shall not stock, sell, display, exhibit for sale any books, magazines, newspapers or periodicals, statues, idols or other articles which are repugnant to morals or indecent and immoral, improper or otherwise objectionable in character, it being expressly agreed that the decision of the Authority shall be conclusive in this behalf and absolutely binding on the Licensee and shall not be subject to any dispute or review. Apart from any other legal/disciplinary action, the Licensee shall immediately remove such book, journal or articles from premises, if, as decided by the Authority it is objectionable in any manner to keep, exhibit or sell the same.


20. The Licensee shall maintain a complaint book in a prominent place in the premises and in such a way that it is easily accessible to any person who wishes to record any complaint and the said book shall be open for inspection fortnightly by the Airport Director of the Authority.
21. If because of any strike or lock-out either in the Airport or in any airline, the Licensee is unable to function or his business is affected, the Authority shall not be liable for any loss which the Licensee may suffer in such an event. However, rebate in the licence fee due to ban on visitors entry at the airport and due to natural calamities and due to declaration of the closure of the airline operation / total airport operation shall be granted as per the merit of the case and policy laid down by AAI from time to time.
22. In the event of the Licensee being prohibited from selling one or more articles in the premises because of Government Laws/Rules/Regulations/ Orders, the Authority shall not be liable for any loss suffered by the Licensee in such an event the Licensee shall not be entitled to any reduction in the fees payable to the Authority or permission for sale of additional items.
23. The Licensee shall deposit duplicate keys of the premises with the Authority whenever the Airport Director demands and permit the Authority to make use of the keys during the emergency. The Licensee shall not remove or replace the lock on the outer door or change the locking device on the said outer door of the shop.
24. The Authority do not recognise any Association of the Traders and in case any negotiation/bargain necessary with regard to the clarification of the Terms & Conditions of the Licence or modification thereof such negotiations should be sought by the Licensee alone and no collective representation/bargaining will be entertained.
25. On expiry of the licence period or on termination of the licence by the Authority on account of any breach on the part of the Licensee, the Licensee shall deliver the possession of the premises in good condition and in peaceful manner along with furniture, fittings, equipments and installations, if any, provided by the Authority. Further, Licensee shall remove his/their goods and other materials from the premises immediately, failing which Authority reserve its right to remove such goods/materials at the cost & risk of the Licensee and demand payment for such removal. If such payment is not made within 10 days, Authority shall be at liberty to dispose off the goods/materials of the Licensee by public auction to recover the cost. The Licensee shall not be entitled to raise any objection in such an eventuality.
26. The licence herewith granted shall not be construed in any way as giving or creating any other right or interest in the said space/building(s)/land/ garden/tank/premises to or in favour of the licensee but shall be construed to be only as a licence in terms & conditions herein contained.
27. The Authority, its servants and agents shall at all times have the absolute right of entry into the said premises.
28. The provision of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 and the rules framed there under which are now in force or which may hereafter come into force shall be applicable for all matters provided in the said Act.
29. All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this Agreement (except those the decision whereof is otherwise herein before expressly provided for or to which the Public Premises [Eviction of Unauthorised Occupants] Act and the rules framed there under which are now enforced or which may hereafter come into force are applicable), shall, in the first instance, be referred to a Dispute Resolution Committee (DRC) setup at the airports, for which a written application should be obtained from the party and the points clearly spelt out. In case the dispute is not resolved within 45 days of reference, then the case shall be referred to the sole arbitration of a person to be appointed by the Chairman/Member of the Authority. The award of the arbitrator so appointed shall be final and binding on the parties. The Arbitration & Conciliation Act 1996 shall be applicable. Once the arbitration clause has been invoked, the DRC process will

cease to be operative.

It will be no bar that the Arbitrator appointed as aforesaid is or has been an employee of the Authority and the appointment of the Arbitrator will not be challenged or be open to question in any Court of Law, on this account.

30. In case of any dispute where legal action is compelled to be initiated by any of the party, jurisdiction of the court shall be the city/town/district where the airport is located

(SIGNATURE OF LICENSEE)



PROPOSED COMMERCIAL PLAN OF SHA FIRST FLOOR
JAMMU AIRPORT

ANNEXURE - A

**Declaration under CLAUSE 3 (f)(i)(ii) & (k) of General Information / Guidelines of NIET
(TO BE SUBMITTED IN TECHNICAL BID)**

DECLARATION

I/We hereby declare that(name of proprietor / partnership firm / company) has/had following contracts (current and past) at AAI controlled airports and offices and the details of disputed and undisputed dues there on along with the details of Security Deposit and mode of Security Deposit is as under:-

CURRENT CONTRACTS:-

Sl. No.	Name of Airport	Name of contract	Period of contract (From/To)	Detail of Disputed / undisputed dues	Detail of Security Deposit (Amount in Rs.)	Mode of Security Deposit

PAST CONTRACTS:-

Sl. No.	Name of Airport	Name of contract	Period of contract (From/To)	Detail of Disputed / undisputed dues	Detail of Security Deposit (Amount in Rs.)	Mode of Security Deposit

Note:- Kindly fill all the columns or submit “Nil Report” against the relevant columns (if not applicable).

OR

DECLARATION

To be submitted by the tenderers, who had / have not established any contract / business with AAI

I/We hereby declare that(name of proprietor / partnership firm / company) has/had not established any business (current and past) at AAI controlled airports and offices, hence the clause 3 (f) (i) & (ii) of General Information / Guidelines of NIET is not applicable to us.

SIGNATURE OF TENDERER WITH STAMP

Date:-

**Declaration under CLAUSE 3 (i) & (j) of General Information / Guidelines of NIET
(TO BE ATTACHED IN TECHNICAL BID)**

DECLARATION

Clause 3 (i)

I / We hereby declare that Myself / our firm / company has not blacklisted or debarred by AAI or any Government of India department, any Central or State public sector undertakings.

Clause 3 (j)

I / We hereby declare that Myself / our firm / company is not facing any case / action under PPE Act initiated by AAI.

SIGNATURE OF TENDERER WITH STAMP

Date:-



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सिविल हवाईअड्डा

जम्मू

सिविल हवाईअड्डा, जम्मू पर सुरक्षा हाल में प्रथम तल पर कश्मीरी पारंपरिक पैकड
खाद्य रीटेल स्टोर हेतु अनुबंध
ई-निविदा दस्तावेज़

दस्तावेजों का मूल्य (नॉन-रिफंडेबल) - रु 2000 (रूपए दो हज़ार केवल) सभी करों सहित

ई-टेंडर दस्तावेज़ संख्या : भा.वि.प्रा./कश्मीरी/जम्मू/सुरक्षा/1388/

विषय: जम्मू सिविल हवाईअड्डे पर सुरक्षा हाल में प्रथम तल पर कश्मीरी पारंपरिक पैकड खाद्य रीटेल स्टोर हेतु अनुबंध

1	निविदा आमंत्रण सूचना	- 3 पृष्ठ
2	ई-टेंडर हेतु ई-निविदा दिशानिर्देश	- 2 पृष्ठ
3	सामान्य सूचना और दिशानिर्देश	- 5 पृष्ठ
4	बेशर्त स्वीकृति पत्र	- 1 पृष्ठ
5	लाइसेन्स करार	- 4 पृष्ठ
6	परिसर का विवरण	- 1 पृष्ठ
7	सामान्य नियम एवं शर्तें	- 5 पृष्ठ
8	फ्लोर प्लान	- 1 पृष्ठ
9.	अनेक्षर- ए	- 1 पृष्ठ
9.	अनेक्षर-बी	- 1 पृष्ठ

(जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

ई-टेंडर आमंत्रण सूचना

सिविल हवाईअड्डा जम्मू पर निम्नलिखित कार्य हेतु लाइसेन्स प्रदान करने के लिए एतद्वारा विधिवत सीलड रूप में निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित है:-

सुविधा का नाम एवं उसका पता	बयाना जमा राशि (रुपये में)	न्यूनतम आरक्षित लाइसेन्स प्रभार (एम.आर.एल.एफ.) (प्रति माह)	निविदा का मूल्य
जम्मू सिविल हवाईअड्डे पर सुरक्षा हाल में प्रथम तल पर कश्मीरी पारंपरिक पैकड खाद्य रीटेल स्टोर हेतु अनुबंध	₹ 85200/-	₹ 71000/-	₹ 2000/-

टिप्पणी:-

- क) न्यूनतम आरक्षित लाइसेन्स प्रभार (एम. आर. एल. एफ.) से कम प्रस्तावों पर कांट्रैक्ट प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- ख) एम. आर. एल. एफ. के अंतर्गत कोट किए गए लाइसेंस प्रभार आगे प्रतिवर्ष 10% के चक्रवृद्धि दर से, या जैसा भा.वि.प्रा. समय समय पर निर्णय लेती है, वृद्धि किए जाने के अधीन होंगे।
- ग) जो पार्टी सर्वाधिक राशि कोट करेगी, अर्थात् H -1 होगी, उसे कांट्रैक्ट प्रदान किया जाएगा। सफल टेंडरर भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित दरों पर लागू GST 18% टैक्स सहित सभी सरकारी करों लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त अदा करने का उत्तरदायी होगा।
- घ) लाइसेन्स अवधि के दौरान पार्टी विद्युत, पानी आदि प्रभारों का भुगतान करेगी।
- ड) लाइसेंसी को दुकान में जम्मू-कश्मीर राज्य में उत्पादित / विकसित / संसाधित ड्राई फ्रूट की बिक्री की अनुमति ही दी जाएगी।
- च) कांट्रैक्ट प्रदान करने या वाणिज्यिक प्रचालन के वास्तविक प्रारम्भ, जो भी पहले हो से 60 दिनों की उत्पादन पूर्व अवधि (Gestation period) की अनुमति है। इस अवधि की गणना कांट्रैक्ट प्रदान करने की तिथि से की जाएगी।
- छ) इस सुविधा के लिए कुल 11 वर्ग मी. की जगह सुरक्षा हाल के प्रथम तल पर दी जाएगी। वास्तविक आवंटन संयुक्त माप के बाद तय होगा।

- 1) लाइसेंस की अवधि **पाँच (5) वर्ष** की होगी।
- 2) निविदा आमंत्रण सूचना में दी गई शर्तों को पूरा करने वाली पार्टी टेंडर में भाग लेने के योग्य होगी :-
 - a) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी प्रकार के कारोबार को करने वाली एजेंसीस निविदा में भाग ले सकती हैं।
 - 3) एक पार्टी, चाहे एक फर्म या एक व्यक्ति हो, को केवल एक टेंडर दस्तावेज़ ही बेचा जाएगा। एक से अधिक कंपनियों या फर्मों के प्रोपराइटर को एक पार्टी और एक कानूनी इकाई के रूप में माना जाएगा।
 - 4) निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली कोई पार्टी, जो फर्म या व्यक्ति हो, पात्र नहीं होगा:-
 - क) के.अ.ब्यू.(CBI) या भा.वि.प्रा. या उपक्रम/ विभाग जैसे रेलवे, रक्षा मंत्रालय या किसी अन्य भारत सरकार के विभाग, राज्य सरकार के विभाग द्वारा विवर्जित (Debarred) /काली सूची (Black listed) में डाली गई पार्टी। उ.क्षे.मु./ हवाईअड्डे का वाणिज्य विभाग ऐसे विवर्जित/ काली सूची में डाली गई पार्टियों का रिकॉर्ड निगमित मुख्यालय के सतर्कता विभाग के परामर्श से रखेगा। इस संबंध में मुख्यालय का सतर्कता विभाग क्षेत्रों/ हवाईअड्डों को अद्यतन सूची अग्रेषित करेगा। इस संबंध में टेंडर दस्तावेज़ जमा करा रही पार्टी से घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा।
 - ख) ऐसी पार्किंग जिन पर पी.पी.ई. धारा के अंतर्गत भा.वि.प्रा. कार्रवाई कर रहा हो।
 - ग) ऐसी पार्टियां या व्यवसायिक प्रतिष्ठापन, जिन्हें न्यायालय ने भा.वि.प्रा. के किसी हवाईअड्डे पर सभी देयताओं का भुगतान करने का आदेश दिया हो और उसने ऐसी देयताओं का भुगतान भा.वि.प्रा. को नहीं किया हो, वह टेंडर की पात्र नहीं होगी ।
- 5) ई-टेंडर दस्तावेज़, लाइसेंस के पूर्ण विवरण सहित, भा.वि.प्रा. के ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं www.aai.aero और <https://etenders.gov.in> पर देखे जा सकते हैं। बिड्स केवल e-portal <https://etenders.gov.in> पर जमा की जा सकती है। किसी और माध्यम से बिड्स स्वीकार नहीं की जाएगी।

ई-टेंडर कार्यविधि ई-पोर्टल यू.आर.एल. पते <https://etenders.gov.in> पर ऑनलाइन है। टेंडर जमा करने वालों से/ को अनुरोध है/ परामर्श है कि वे स्वयं उपर्युक्त ई-टेंडरिंग पोर्टल पर से ई-टेंडरिंग प्रतिभागिता की आवश्यकताओं की जानकारी ई-टेंडर पोर्टल से लें। यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो उसे केवल ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से ही भेजा जाएगा।
- 6) ई-टेंडर के कुल मूल्य रूपये 2000 (रूपये दो हजार केवल) का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया जाना अपेक्षित है, एवं यह निविदा के अपलोड तिथि से पहले का बना नहीं होना चाहिए तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जम्मू के नाम का बना होना चाहिए। यह नॉन-रिफंडेबल है।

क) निविदा शुल्क की नकल की गई प्रतिलिपि, विधिवत रूप से, क्रमित संख्या / एन्वेलप- 1 में महत्वपूर्ण दिनांक में उल्लिखित दिनांक और समय से अपलोड किए जाने के लिए हस्ताक्षरित।

ख) आवश्यकता के अनुसार निविदा शुल्क की मूल हार्ड प्रतिलिपि, सीलबंद लिफाफा में वाणिज्यिक, नागरिक हवाई अड्डे, जम्मू -180003 के कार्यालय में महत्वपूर्ण तिथियों में उल्लिखित दिनांक और समय से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ग) पोस्टल देरी, यदि निर्धारित तारीख और समय से मूल निविदा शुल्क का कोई भी न हो या नहीं, तो निविदा को अंतिम रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

ई-बिड्स निम्नानुसार दो बिड़ प्रणाली के माध्यम से जमा कराई जाएगी।

- i. तकनीकी बिड़ : निविदा आमंत्रण सूचना की सामान्य सूचना/ दिशानिर्देश के अनुच्छेद के अंतर्गत वांछित बयाना जमा राशि (EMD) और अन्य दस्तावेज बनाना।
- ii. वाणिज्यिक बिड़: जो निविदा आमंत्रण सूचना की सामान्य सूचना/ दिशानिर्देश के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत वांछित हो।

7) टेंडर की महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार है:-

1.	ई-टेंडर पोर्टल से टेंडर दस्तावेज डाउनलोड करना	:	01.08.2017	1800 बजे तक
2.	ई-टेंडर पोर्टल से टेंडर दस्तावेज खरीदने की तिथि	:	01.08.2017	1800 बजे तक
3.	स्पष्टीकरण शुरू की तारीख	:	07.08.2017	1800 बजे तक
4.	बिड़ प्रस्तुत करने की प्रारम्भ की तिथि	:	07.08.2017	1800 बजे तक
5.	स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख	:	16.08.2017	1100 बजे तक
6.	टेंडर दस्तावेज डाउनलोड/बिक्री की अंतिम तारीख	:	21.08.2017	1700 बजे तक
7.	बिड़ प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	23.08.2017	1800 बजे तक

8.	तकनीकी बिडों को खोलना	:	30.08.2017 1500 बजे तक
9.	वित्तीय बिडों को खोलना	:	वाणिज्यक बिड खोलने की तिथि एवं समय अलग से केवल तकनीकी योग्य बिडर्स को बताया जाएगा

- 8) सशर्त टेंडर को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार भा.वि.प्रा. के पास सुरक्षित है।
- 9) बिना कोई कारण बताए किसी या सभी टेंडर को अस्वीकार करने और किसी टेंडर को अस्वीकार करने और किसी टेंडरकर्ता से अन्य विवरण और जानकारी मांगने का अधिकार भा.वि.प्रा. के पास सुरक्षित है।

निदेशक विमानपत्तन
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सिविल हवाईअड्डा, जम्मू

(किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतर ही मान्य होगा)

सामान्य जानकारी और दिशा निर्देश

- 1 टेंडर दस्तावेज़ अहस्तांतरणीय हैं।
- 1 'तकनीकी बिड' लिफाफा-'क' में और 'वाणिज्यक बिड' लिफाफा -'ख' में और दोनों लिफाफे 'मुख्य लिफाफे' में सील बंद होने चाहिए।
- 2 लिफाफा 'क' पहले खोला जाएगा, जिसमें निम्नलिखित मूलभूत दस्तावेज़ होंगे:-
 - क) संबन्धित का विवरण और विधिक स्तर अर्थात क्या वह एकल प्रोप्राइटर, सहभागिता फार्म या कंपनी एक्ट के अंतर्गत कंपनी है।
 - ख) पैन कार्ड जीएसटी के आत्म-प्रमाणित सहयोग यदि उपर्युक्त किसी भी या सभी प्रावधान लागू नहीं हैं, तो पार्टी को उस प्रभाव के लिए एक घोषणा देनी चाहिए। गैर जमा को छूट के रूप में नहीं माना जाएगा। एएआई को पार्टी द्वारा प्रस्तुत गैर प्रयोज्यता के घोषणापत्र स्वीकार करने से पहले रोविजनों की कानूनी प्रयोज्यता की पुष्टि करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - ग) वैयक्तिक प्रोपराइटर या सहभागिता फर्म की लाभ एवं हानि लेखा/ बैलेन्स शीट की प्रति (चार्टर्ड अकाउंट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित एवं अनुप्रमाणित) व कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी के मामले में वार्षिक रिपोर्ट।
 - घ) कंपनी के मामले में संस्था के ज्ञापन और अनुच्छेद और फर्म के मामले में सहभागिता दस्तावेज़ और सहकारी समितियों के मामले में अनुमोदित उपनियम।
 - ड) **₹ 85200/- (रुपए पचासी हजार दो सौ मात्र)** की बयाना जमा राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जम्मू को पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाना है।
 - क) निविदा धरोहर शुल्क की नक़ल की गई प्रतिलिपि, विधिवत रूप से, क्रमित संख्या / एन्वेलप- I में महत्वपूर्ण दिनांक में उल्लिखित दिनांक और समय से अपलोड किए जाने के लिए हस्ताक्षरित।
 - ख) आवश्यकता के अनुसार निविदा धरोहर शुल्क की मूल हार्ड प्रतिलिपि, सीलबंद लिफाफा में वाणिज्यिक, नागरिक हवाई अड्डे, जम्मू -180003 के कार्यालय में महत्वपूर्ण तिथियों में उल्लिखित दिनांक और समय से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
 - ग) पोस्टल देरी, यदि निर्धारित तारीख और समय से मूल निविदा शुल्क का कोई भी न हो या नहीं, तो निविदा को अंतिम रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

च) भा.वि.प्रा. द्वारा जारी अदेयता प्रमाणपत्र।

1. देयताओं को स्वयं घोषणापत्र

पार्टी को भा.वि.प्रा. के द्वारा नियंत्रित हवाईअड्डा और कार्यालयों से किए गए करारों (वर्तमान और पूर्व में) का विवरण और वहाँ पर विवादित और अविवादित देयताओं का विवरण, सुरक्षा जमा और सुरक्षा जमा के माध्यम के विवरण सहित, देना होगा।
(अन्नेक्सर-ए)

2. भा.वि.प्रा. द्वारा जारी अदेयता प्रमाणपत्र

अपने नियंत्रणाधीन सभी हवाईअड्डों के मामले में पार्टी को भाविप्रा द्वारा जारी अदेयता प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।

केवल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र वैध होगा। संविदा जमा कराते समय हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि को पार्टी को सत्यापित करना होगा।

- छ) कुल कारोबार का प्रमाणित विवरण (जिस सुविधा के लिए निविदा कार्रवाई की जा रही है उसके अनुसार निविदा दस्तावेज़ में विवरण दिया जाए) इसमें से कुल कारोबार का 50% संबंधित व्यवसाय में होना चाहिए अर्थात् जिनके सुविधा के लिए निविदा की गई है। (आवश्यक नहीं)
- ज) विधिवत रूप से हस्ताक्षरित बिना शर्त स्वीकृत का प्रपत्र (निविदा दस्तावेज़ के साथ अनुलग्नक XI पर संलग्न)।
- झ) निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार वांछित दस्तावेजों की प्रति।
- ञ) भा.वि.प्रा. के विभिन्न स्टेशनों पर पार्टी द्वारा किए गए कार्य का विवरण देते हुए घोषणापत्र। भा.वि.प्रा. या अन्य किसी भारत सरकार के विभाग, किसी केंद्र या राज्य सरकार क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट या विवर्जित (डिबार) किए जाने का विवरण (शून्य सूचना भी दी जाए)।
- ट) भा.वि.प्रा. द्वारा पी.पी.ई. एक्ट के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई/ मामले का घोषणापत्र (शून्य सूचना भी दी जाए)। **(अन्नेक्सर-बी)**
- ठ) देयताओं का विवरण देते हुये घोषणापत्र (विवादित और अविवादित)। **(अन्नेक्सर-ए)**
- ड) निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखानुसार अनुभव अर्हता का दस्तावेजी प्रमाणपत्र।

महत्वपूर्ण: प्रत्येक मामलों के स्तर पर किसी दस्तावेज़ का सत्यापन, संबंधित प्राधिकारी को संदर्भित करने का अधिकार भा.वि.प्रा. के पास सुरक्षित है। केवल जमा करना भा.वि.प्रा. को वाणिज्यक बिड़ खोलने के लिए दस्तावेज़ स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

4. लिफाफा 'बी' (वाणिज्यक बिड़)

- क) लिफाफा 'बी' में केवल निर्धारित प्रपत्र में वाणिज्यक बिड़ होगी।

5. क) एक एकल प्रोपराइटर, जिसके अधीन अलग-अलग नामों से व्यवसाय हों को एक कानूनी इकाई माना जाएगा।
- ख) सहभागिता फर्म है तो इन सभी मामले में, क्योंकि वह स्वयं एक कानूनी इकाई नहीं है, अतः यदि दो या अधिक फ़र्मों के समान सहभागी होते हैं तो इन सभी फ़र्मों को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। भारत के सहभागिता एक्ट के अनुसार सहभागी के निहित एजेंसी के सिद्धांत को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया गया है। भा.वि.प्रा. में वाणिज्यिक संविदा के लिए अलग-अलग पैन कार्ड होना समान सहभागी होने वाली फ़र्मों को अलग इकाई मानने के लिए योग्य नहीं होगा क्योंकि कर नियमों के प्रावधान अलग होते हैं।
- ग) कंपनियों के मामले में, यदि स्वामित्व कंपनी और उसकी सहायक एक ही निविदा में भाग ले रही है तो इस संबंध में निविदा प्रपत्र के लिए आवेदन करते समय घोषणा करनी होगी। इसके साथ ही तकनीकी बिड भरते समय संबंध का आधार व प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- घ) यदि विदेशी कंपनी और उसकी पूर्ण रूप से नियंत्रित भारतीय सहायक (डब्ल्यू.ओ. एस.) कंपनी एक ही निविदा में भाग ले रही हो तो उसे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन करते समय इस संबंध में घोषणा करनी होगी। इसके साथ ही तकनीकी बिड करते समय संबंध का आधार व प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. निविदाकर्ता को दोनों लिफाफों पर, मामले के आधार पर, फर्म/ कंपनी/ व्यक्ति का नाम और पता स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा और जिस सुविधा के लिए निविदा आमंत्रित की गई है उसका नाम सुस्पष्ट रूप में लिखना होगा।
7. यह ध्यान दिया जाए कि निम्नलिखित की पूर्ति न करने पर सकल बिडकर्ता की बयाना जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और बिडकर्ता को तीन वर्षों के लिए भा.वि.प्रा. की निविदा में भाग लेने के लिए विवर्जित (डीबार) कर दिया जाएगा।
- क) 10 दिनों के अंदर प्रस्ताव को स्वीकार करना।
- ख) अवार्ड पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर एक माह के अग्रिम लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना।
- ग) (i) लाइसेन्स मिलने के 15 दिनों के भीतर कोट की गई लाइसेंस शुल्क के छः माह की राशि के बराबर का प्रतिभूति जमा करेगा जो कि विमानपत्तन निदेशक, जम्मू, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर/ बैंक गारंटी के रूप में होगा।
- (ii) गत वर्ष के बिजली/ पानी/ टेलीफोन/ इत्यादि के लिए वार्षिक लाइसेन्स फीस का 10 प्रतिशत जमा राशि का भुगतान ।
- (घ) 15 दिनों के भीतर समझौते का कार्यान्वयन , तथा

(ड) ठेका दिये जाने के 60 दिनों के भीतर सुविधा प्रारंभ किया जाना या एरोब्रिज (पीबीबी) के संचालन के बाद सुविधा का प्रारंभ, जो भी पहले हो।

8. लिफाफा "B" के टेंडर बिड के खोले जाने की तिथि से 180 दिनों तक यह निविदा वैध रहेगी। यदि किसी निविदाकर्ता ने वैधता अवधि के दौरान ठेका वापिस लिया तो उसकी जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी। वैधता खत्म होने के पश्चात निविदाकर्ता या तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वापिस ले सकते हैं अथवा भा वि प्रा की अनुमति से अपने निविदा की अवधि बढ़ा सकते हैं।

9. निविदाकर्ता भा. वि. प्रा. में कार्यरत अपने निकट संबंधियों की सूची देंगे।

10. सफल निविदाकर्ता इस ठेके में नियोजित किए गए अथवा किए जाने वाले ऐसे कार्मिकों की सूची देगा जिनके निकट संबंधी* भा. वि. प्रा. में कार्यरत हैं।

11. उक्त शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर सफल निविदाकर्ता के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी:

क) अवाई लेटर दिये जाने के पश्चात यदि निविदाकर्ता स्वीकृति औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं करता अथवा उल्लिखित तिथि से सुविधा उपलब्ध कराना प्रारम्भ नहीं करता अथवा निर्धारित समय सीमा में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता तो भा. वि. प्रा. ठेके को रद्द कर सकता है और डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी। उस पार्टी पर भा.वि.प्रा. की किसी भी निविदा में हिस्सा लेने पर 1 वर्ष का प्रतिबंध भी लगाया जाएगा।

ख) यदि देश के कानून के अंतर्गत दंडनीय अवैध गतिविधि के कारण ठेका खत्म किया जाता है तो उस पार्टी को तब तक प्रतिबंधित रखा जाएगा जब तक देश के न्यायालय से उन्हें बरी नहीं किया जाता। यदि न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पार्टी पर दंड लगाया जाता है तो संबन्धित न्यायिक प्राधिकारी से क्लियरेंस मिलने तक उस पार्टी पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

ग) यदि किसी भी समय भा.वि.प्रा. यह पाता है कि निविदाकर्ता ने अर्हता मानदंडों को प्रभावित करने हेतु गलत/ झूठा सूचना/ दस्तावेज दिये हैं अथवा जानकारी छिपाई है तो डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी एवं उस पार्टी पर भा. वि. प्रा. के किसी भी निविदा में हिस्सा लेने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

12. संविदा का बहिर्गमन खंड निम्नानुसार है :

क) **सामान्य समाप्ति** : समझौते में उल्लिखित अंतिम तिथि को संविदा समाप्त मानी जाएगी बशर्ते अंतिम तिथि से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संविदा बढ़ाए जाने अथवा नवीकरण का अनुमोदन दे दिया जाए, लिखित में पार्टी को सूचित किया जाये और पार्टी द्वारा स्वीकृति दी जाये। मामले के निपटान होने तक पार्टी को देयता जारी रहेगी तथा संविदा में उल्लिखित दर पर विलंब ब्याज भी देय होगा। इस खंड के अनुसार संविदा समाप्त किए जाने पर ठेकेदार देयता को समयबाधित या अधिकार से परे होने का दावा नहीं कर सकता।

ख) **कारणवश समाप्ति** : यदि पार्टी या भा.वि.प्रा. ने आंतरिक विवाद समाधान खंड का सहारा लिया है (जिसके अनुसार विवाद समाधान समिति को भेजे गए मामले का 45 दिनों के भीतर निपटान किया जाना होता है) तथा निर्धारित अवधि में इसका निपटान नहीं हो पाता है तो जिस तिथि तक मामले का निपटान किया जाना था उसके अगले दिन से समाप्ति की नोटिस अवधि प्रारम्भ मानी जाएगी । किसी भी पार्टी को कोई और नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी तथा नोटिस अवधि समाप्त होते ही संविदा समाप्त हो जाएगी। यदि यह समाप्ति संविदा अवधि के मध्य से पहले होती है तो पार्टी भा.वि.प्रा. को विलंब शुल्क के रूप में 6 महीने की वर्तमान लाइसेन्स फीस के बराबर लाइसेन्स फीस देने के लिए बाध्य होगी । समझौते के अनुसार विवाचन खंड का तभी सहारा लिया जा सकता है जब आंतरिक विवाद तंत्र सफल नहीं होता। परंतु विवाचन कार्यवाही शुरू होने के बावजूद समाप्ति का नोटिस प्रारम्भ हो जाएगा।

ग) **सुविधा हेतु समाप्ति** : कोई भी पार्टी , भा.वि.प्रा. या ठेकेदार, अपेक्षित नोटिस अवधि देकर समाप्ति का नोटिस जारी कर सकता है । स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही भा.वि.प्रा. द्वारा नोटिस दिया जा सकता है । इसी प्रकार स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही पार्टी द्वारा नोटिस दिया जा सकता है। जिस तिथि को भा.वि.प्रा. में नोटिस प्राप्त होगा उसी दिन से नोटिस अवधि प्रारम्भ मानी जाएगी तथा इसमें प्रशासनिक अनुमोदन का समय नहीं जोड़ा जाएगा । यदि नोटिस पार्टी द्वारा भेजी गई है तो उसे विलंबन शुल्क भी देना होगा । यदि यह समाप्ति संविदा अवधि के मध्य से पहले होती है तो पार्टी भा.वि.प्रा. को विलंब शुल्क के रूप में 6 महीने की वर्तमान लाइसेन्स फीस के बराबर लाइसेन्स फीस देने के लिए बाध्य होगी। यदि यह समाप्ति संविदा अवधि के 50 से 75 % में होती है तो 4 महीने की वर्तमान लाइसेन्स फीस के बराबर लाइसेन्स फीस देय होगी । यदि 75% से अधिक समय तक संविदा चला है तथा शेष समय सामान्य समाप्ति की अपेक्षित नोटिस अवधि से ज्यादा है तो 3 महीने की वर्तमान लाइसेन्स फीस के बराबर लाइसेन्स फीस देय होगी ।

13. उक्त दिशानिर्देश निविदा आमंत्रण सूचना के अभिन्न अंग होंगे ।

14. भा.वि.प्रा. को अधिकार है कि वह निविदा प्राप्त होने/ खोलने कि तिथि तथा निविदा की वैधता को बढ़ा सकता है ।

15. भा.वि.प्रा. को अधिकार है कि वह बिना कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर सकता है ।

* नोट: निकट संबंधी शब्द का तात्पर्य पत्नी, पति, आश्रित माता-पिता, दादा-दादी, बच्चे, पोते, भाई, बहन, चाचा, चाची, कज़िन और सास-ससुर से है ।

संलग्नक XI

कवर सं. 1 में इसकी प्रति प्रस्तुत की जाएगी

स्वीकृति पत्र

(कवर सं. 1 में प्रस्तुत किया जाएगा)

निविदा आमंत्रण सूचना के खंड 8 का संदर्भ लें

सेवा में,
वाणिज्य प्रभारी
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
जम्मू हवाईअड्डा ।

विषय : भा.वि.प्रा. के ई-टेंडर शर्तों की स्वीकृति ।

महोदय,

1. मुझे/ हमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जम्मू हवाईअड्डे पर **जम्मू सिविल हवाईअड्डे पर सुरक्षा हाल में प्रथम तल पर कश्मीरी पारंपरिक पैकड खाद्य रीटेल स्टोर हेतु अनुबंध** से संबंधित निविदा दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिये गए हैं तथा मैं/ हम ये प्रमाणित करता/ती हूँ/ करते हैं कि मैंने/ हमने कार्यस्थल का निरीक्षण कर लिया है और उपलब्ध कराये गए निविदा दस्तावेजों की समस्त शर्तों एवं नियमों, जो निविदा समझौते में शामिल होंगी, का अध्ययन कर लिया है । मैं/ हम उक्त में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे ।
2. मैं/ हम एतद्वारा सशर्त भा.वि.प्रा. के निविदा दस्तावेजों में निहित निविदा शर्तों को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/ करते हैं।
3. दस्तावेजों में शामिल निविदा आमंत्रण सूचना के खंड 8 की विषय वस्तु का भी मुझे/ हमें ध्यान है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बिना कारण बताए इस सशर्त ऑफर को रद्द कर सकता है ।
4. मैं/ हम यह भी घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस ठेके के दिये जाने, कार्यान्वयन या बिलों के भुगतान या किसी भी स्थिति में मैंने/ हमने भा.वि.प्रा. के किसी भी अधिकारी को न रिश्वत दी है और न देंगे और यदि भा.वि.प्रा. का कोई भी अधिकारी रिश्वत मांगता है तो मैं/ हम तुरंत भा.वि.प्रा. के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करूंगा/ करेंगे ।
5. इस निविदा हेतु आवश्यक अर्नेस्ट मनी एतद्वारा संलग्न है ।

भवदीय

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

(रबर स्टांप सहित)

दिनांक :

लाइसेन्स समझौता

विषय: जम्मू सिविल हवाईअड्डे पर सुरक्षा हाल में प्रथम तल पर कश्मीरी पारंपरिक पैकड खाद्य रीटेल स्टोर हेतु अनुबंध

यह समझौता आज दिनांक _____ को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो कि केंद्र सरकार द्वारा विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम (1994 का _____ अधिनियम) के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय है जिसका निगमित मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जिसके कार्यालय भारत के हर हवाईअड्डे पर स्थित हैं, के प्रतिनिधि _____, जिन्हे इसके बाद 'प्राधिकरण' (जिस शब्द में , जब तक कि वह संदर्भ के विरुद्ध अथवा शामिल नहीं किया गया हो, अध्यक्ष, सदस्य, कार्यपालक निदेशक, विमानपत्तन निदेशक, अधिकारी अथवा अध्यक्ष, भा.वि.प्रा. द्वारा प्रत्यायोजित कार्मिक तथा उनके उत्तराधिकारी शामिल हैं) कहा जाएगा , और _____ के प्रतिनिधि _____ , जिन्हे इसके बाद लाइसेन्सी (जिस शब्द में , जब तक कि वह संदर्भ के विरुद्ध अथवा शामिल नहीं किया गया हो, लाइसेन्सी के उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, वारिस शामिल हैं) कहा जाएगा, के बीच किया जाता है ।

जबकि प्राधिकरण कानूनन रूप से अपने जम्मू विमानपत्तन पर सुरक्षा हाल में प्रथम तल पर कश्मीरी पारंपरिक पैकड खाद्य रीटेल स्टोर के उद्देश्य से लाइसेन्स देने के लिए अधिकृत है ताकि हवाईअड्डों पर यात्रियों और आगंतुकों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और प्राधिकरण के आधिपत्य में स्थान, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची तथा इस समझौते में संलग्न योजना में दिया गया है, उपलब्ध है जिसे इसके बाद परिसर कहा जाएगा ।

जबकि लाइसेन्सी नीचे दी गई शर्तों और नियमों पर प्राधिकरण को सेवा उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक है:

और जबकि प्राधिकरण लाइसेन्स देने के लिए सहमत है । अतः यह अनुबंध साक्षी है

1. कि यह लाइसेन्स उक्त सेवा हेतु पाँच वर्ष के लिए दिनांक _____ से _____ तक वैध होगा जब तक कि निम्नलिखित परिस्थितियों में समय से पूर्व इसे समाप्त न किया जाये:

क) दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा बिना कारण बताए लिखित रूप से 120 दिनों का नोटिस देकर ।

- ख) असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के कारण प्राधिकरण द्वारा अल्पावधि नोटिस पर समाप्ति ।
 ग) आंतरिक विवाद समाधान हेतु निर्दिष्ट समयावधि में समाधान नहीं होने कि स्थिति में समाप्ति।

2. कि लाइसेन्सी अंग्रेजी कैलेंडर के 10 तारीख तक प्रति माह प्राधिकरण को निम्नानुसार अग्रिम लाइसेन्स फीस अदा करेगा:

वर्ष	मासिक लाइसेन्स फी की राशि	अतिरिक्त प्रतिशत/ रॉयल्टी
प्रथम वर्ष	_____	_____
दूसरे वर्ष	_____	_____
तीसरे वर्ष	_____	_____
चौथे वर्ष	_____	_____
पाँचवे वर्ष	_____	_____

3. कि उक्त लाइसेन्स फीस के अतिरिक्त लाइसेन्सी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तथा समय समय पर तय की गई दरों पर बिजली और पानी की खपत पर आने वाले खर्च का वहन करेगा । इसके लिए लाइसेन्सी को अपने खर्चों से मीटर लगवाना होगा अन्यथा उसे प्राधिकरण द्वारा आकलित खपत के अनुसार भुगतान करना होगा । बिल के भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में प्राधिकरण बिना कोई नोटिस दिये उक्त परिसर का बिजली और पानी का कनक्शन काट सकता है अथवा कटवा सकता है और इसके लिए लाइसेन्सी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ।
4. कि लाइसेन्सी विधि के अनुसार सभी दरों, मूल्यांकनों, और करों का भुगतान करेगा।
5. कि लाइसेन्सी स्थानीय बैंकों के चेक/ डीडी द्वारा लाइसेन्स फीस इत्यादि का भुगतान करेगा। लाइसेन्स फीस इत्यादि के भुगतान के लिए शहर के बाहर के चेक नहीं स्वीकार किए जाएंगे।
6. कि निर्धारित तिथि तक लाइसेन्स फीस इत्यादि के भुगतान नहीं किए जाने कि स्थिति में भा.वि.प्रा. क्रेडिट नीति के अनुसार सभी विलंबित भुगतानों पर 12% सालाना का साधारण ब्याज देय होगा।
7. कि लाइसेन्सी 6 महीने की लाइसेन्स फीस के बराबर रु _____ (रु _____ मात्र) का प्रतिभूति जमा करेगा जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर/ बैंक गारंटी के रूप में होगी । यदि बकाया राशि 1 से अधिक की होती है तो भा.वि.प्रा. पहले महीने के लिए 12% सालाना की दर से दंडस्वरूप ब्याज ले सकता है और यदि बकाया इससे अधिक समय की हुई तो अधिकतम 2 महीनों के लिए 18% सालाना की दर से दंडस्वरूप ब्याज लगाया जाएगा । इस अवधि में लाइसेन्सी को बकाया राशि के भुगतान के लिए नोटिस भेजा जाएगा। यदि लाइसेन्सी इस 2 महीने की अवधि में भी भुगतान नहीं करता है तो संविदा समाप्त कर

दी जाएगी और बिना अतिरिक्त समय दिये प्रतिभूति जमा से ब्याज सहित बकाया राशि का समायोजन किया जाएगा।

8. कि लाइसेन्सी बिजली शुल्क के लिए रु _____ (रु _____ मात्र) नकद/ पे ऑर्डर के रूप में प्रतिभूति जमा करेगा।
9. कि लाइसेन्सी को जिस कार्य हेतु यह लाइसेन्स दिया गया है उससे संबंधित विधि के अनुसार उस समय लागू सभी आवश्यक परमिट, लाइसेन्स, अनुमति, इत्यादि प्राप्त करेगा।
10. कि लाइसेन्सी उक्त परिसर में किए गए विक्रय से संबंधित लेखा पंजिका (सहायक दस्तावेजों सहित) का नियमित एवं उचित रूप से रख-रखाव करेगा तथा इन लेखा पंजियों की प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय आवश्यकतानुसार जांच की जा सकती है। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके और समय सीमा के अनुसार लाइसेन्सी प्राधिकरण को ऑडिट किए गए खातों का ब्यौरा उपलब्ध कराएगा। लाइसेन्सी भा.वि.प्रा. के साथ बीजक संबंधी विवरण भी साझा करेगा।
11. कि लाइसेन्सी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा यदि प्राधिकरण हवाईअड्डा परिसर, जहां लाइसेन्सी सेवा प्रदान कर रहा है, में उसी प्रकार की सेवा के लिए किसी और पार्टी को अतिरिक्त लाइसेन्स देता है।
12. कि प्राधिकरण इन सेवाओं हेतु केवल स्थान उपलब्ध कराएगा तथा इन सेवाओं के निष्पादन और स्थापना संबंधी सारा व्यय लाइसेन्सी द्वारा किया जाएगा। तथापि, सेवाओं के निर्बाध निष्पादन के लिए प्राधिकरण आवश्यकतानुसार बिजली, पानी और जल निकास संबंधी कनक्शन उपलब्ध कराएगा।
13. कि लाइसेन्स समझौते की वैधता अवधि के दौरान परिसर में रखे या प्रयुक्त सभी चल या अचल परिसंपत्ति की चोरी-डकैती सहित उचित अग्नि बीमा कवरेज हासिल करना लाइसेन्सी की जिम्मेदारी होगी और लाइसेन्सी को किसी भी प्रकार के नुकसान या हानि के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
14. कि लाइसेन्सी उपयोगकर्ता से विषय सुविधा के लिए प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से मंजूर दर पर शुल्क लगाएगा। लाइसेन्सी को परिसर में उचित स्थान पर उक्त मंजूर दर प्रदर्शित करनी होगी जिसे उपयोगकर्ता स्पष्ट रूप से देख सकें।
15. कि प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वह किसी भी समय परिसर की अवस्थिति बदल सकता है और लाइसेन्सी को वैकल्पिक परिसर देकर इस परिसर को खाली भी करवा सकता है। ऐसी परिस्थिति में लाइसेन्सी फौरन परिसर खाली करने एवं वैकल्पिक परिसर स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। स्थान परिवर्तन पर होने वाले व्यय का वहन लाइसेन्सी को करना होगा तथा लाइसेन्सी इसके एवज में लाइसेन्स फीस में किसी भी प्रकार की छूट का दावा नहीं करेगा।
16. कि लाइसेन्सी परिसर का प्रयोग समझौते तथा विशेष रूप से संलग्न अनुसूची में दिये गए विवरण के अनुसार हवाईअड्डे पर आने वाले यात्रियों, आगंतुकों, प्राधिकरण के कार्मिक और हवाईअड्डा का

प्रयोग करने वाली एयरलाइनों के कार्मिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करेगा और इसके अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग नहीं करेगा ।

17. कि प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना लाइसेन्सी कोई भी विज्ञापन अथवा साइनबोर्ड नहीं लगाएगा ।
18. कि 120 दिन के लिखित नोटिस देकर लाइसेन्स समाप्त करने के अतिरिक्त किसी भी हालत में लाइसेन्सी लाइसेन्स अवधि खत्म होने से पूर्व इस लाइसेन्स को समाप्त नहीं कर सकता है अन्यथा लाइसेन्सी को बिना प्रश्न या विरोध किए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि देना पड़ेगा। समझौते की पूर्ण अवधि समाप्त होने से पूर्व संविदा समाप्त करने के लिए एन.आई.टी. में उल्लिखित बहिर्गमन खंड लागू होगा। प्राधिकरण द्वारा बिना कारण बताए 120 दिन की लिखित नोटिस देकर लाइसेन्स समाप्त किया जा सकता है ।
19. कि प्राधिकरण की नजर में यदि लाइसेन्सी द्वारा लाइसेन्स समझौते के सभी या किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा लापरवाही की जाती है अथवा अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है और लाइसेन्सी को बिना मुआवजा दिये परिसर पर पुनः स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है और प्रतिभूति जमा राशि को भी जब्त किया जा सकता है।
20. कि प्राधिकरण और लाइसेन्सी इसके लिए भी सहमत हैं कि वे संलग्नक X में उल्लिखित सामान्य नियमों एवं शर्तों से बाध्य होंगे ।
21. कि निविदा दस्तावेज़, एन. आई. टी., सामान्य नियम एवं शर्त, परिसर की अनुसूची (schedule), अवार्ड/ आवंटन पत्र, कार्यग्रहण नोट, इत्यादि भी इस समझौते का हिस्सा होंगे तथा प्राधिकरण और लाइसेन्सी के लिए बाध्य होंगे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से श्री, निदेशक
विमानपत्तन, ----- हवाईअड्डा, भारतीय विमानपत्तन
प्राधिकरण, ने निम्न कि उपस्थिति में हस्ताक्षर किए:

साक्ष्य :

- 1.
- 2.

----- की ओर से श्री ने निम्न कि
उपस्थिति में हस्ताक्षर किए:

साक्ष्य :

- 1.
- 2.

परिसर की अनुसूची (schedule)

क्षेत्रफल	: कुल 11 वर्ग मी. जगह (प्रथम तल पर)
स्थिति	: <u>जम्मू विमानपत्तन के सुरक्षा हाल के प्रथम तल पर</u>
उद्देश्य	: <u>कश्मीरी पारंपरिक पैकड खाद्य रीटेल स्टोर</u>

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

प्राधिकरण लाइसेंसधारक के साथ एतद्वारा निम्नानुसार अनुबंध करता है:-

1. एयरपोर्ट ग्राउंड के विधिक प्राधिकारियों द्वारा लागू किये गए नियमों एवं शर्तों के अधीन लाइसेंसधारक उसके नौकर एवं एजेंट उस एयरपोर्ट पर समय समय पर उपलब्ध सभी मार्गों, सड़कों एवं गलियों का उपयोग करने के पात्र होंगे ।
2. लाइसेंस फीस का भुगतान कर रहे लाइसेंसधारक संविदा में दिये गए करार का निष्पादन करते समय अथवा इसके किसी भाग का निष्पादन करना हो तो ऊपर कहे अनुसार प्राधिकरण के बिना किसी विधिक हस्तक्षेप के शांतिपूर्वक मार्गों, सड़कों एवं गलियों का उपयोग करते हुए परिसर का आनंद लें।
3. इस अनुबंध के तहत यदि लाइसेंसधारक को कोई नोटिस दिया जाना है तथा इसे उसके अंतिम ज्ञात पते या अधिकृत प्रतिनिधि या एजेंट को वितरित अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया है तो इसे लाइसेंसधारक को पहुंचा हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार यदि अनुबंध के तहत लाइसेंसधारक द्वारा प्राधिकरण को व्यक्तिशः अथवा पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा गया है तो इसे वितरित माना जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा इसकी पावती भेजी जानी चाहिए।
क) इस अनुबंध के तहत दिये गए नोटिस की अवधि नोटिस प्राप्त होने की तिथि से मानी जाएगी।
4. पूर्व में दिये गए विषयों के अतिरिक्त, प्राधिकरण की ओर से दिये जाने वाले सभी नोटिस तथा प्राधिकरण की ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्रवाई प्राधिकरण के तरफ से निदेशक विमानपत्तन द्वारा की जाए अथवा दी जाए अथवा निदेशक विमानपत्तन के कार्यों, कर्तव्यों व शक्तियों से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ही जाए ।

5. क) प्राधिकरण की लिखित सहमति के बिना लाइसेंस धारक इस अनुबंध के संबंध में अथवा इसके किसी भाग के लिए उप-निविदा नहीं देगा। साथ ही ऊपरलिखित अनुसार लिखित सहमति के बिना उसके लाइसेंस को अथवा उसके किसी भाग को स्थानांतरित नहीं करेगा।
ख) इस अनुबंध में दिये गए उद्देश्य के लिए ही लाइसेंसधारक परिसर का उपयोग करेगा, किसी अन्य काम के लिए नहीं।
6. लाइसेंसधारक, उसके एजेंट एवं नौकरों को दूकान एवं स्थापना अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, औद्योगिक विवाद, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा प्राधिकरण, नागर विमानन विभाग अथवा सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा स्थानीय निकाय अथवा प्रशासन द्वारा बनाए गए तथा समय समय पर लागू नियमों व शर्तों सहित लाइसेंसधारक, व्यापार पर लागू होने वाले किसी संवैधानिक कानून के प्रावधानों , निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन, निष्पादन एवं ध्यान रखना होगा।
क) इस अनुबंध से संबन्धित नियमों व प्रावधानों के निष्पादन के समय लाइसेंसधारक की तरफ से प्राधिकरण को कोई नुकसान अथवा प्राधिकरण के विरुद्ध कोई व्यक्ति दावा करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति लाइसेंसधारक को करनी होगी।
ख) लाइसेंसधारक की संपत्ति को किन्हीं कारणों से हुए नुकसान अथवा क्षति के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
7. प्राधिकरण अथवा स्वच्छता से जुड़े किसी अन्य विभाग द्वारा साफ सफाई के संबंध में दिये गए निर्देशों का लाइसेंसधारक को अनुपालन करना होगा तथा लाइसेंसधारक अपनी स्वयं की लागत से परिसर की समुचित साफ सफाई रखेगा। यदि लाइसेंसधारक परिसर को ठीक प्रकार से साफ सुथरा नहीं रखता है तो विमानपत्तन प्रभारी लाइसेंसधारक के व्यय से परिसर की सफाई का अधिकार रखता है तथा प्रथम 7 दिन में प्रत्येक गलती के लिए 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से

जुर्माना लगा सकता है। तत्पश्चात 1000 रुपए प्रतिदिन सहित लाइसेंस को रद्द करने सहित अन्य कार्रवाई कर सकता है।

8. नीचे दिये गए अनुसार लाइसेंस धारक आवश्यक स्तरीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करेगा:
- क) विमानतल स्वास्थ्य अधिकारी / भाविप्रा के चिकित्सा अधिकारी अथवा
9. नीचे दिए गए अनुसार लाइसेंस धारक आवश्यक स्तरीय स्वास्थ्य नियमों का पालन करेगा ।
विमानतल स्वास्थ्य अधिकारी/भाविप्रा के चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय परिसर, सामग्री, उपकरण एवं लाइसेंस धारक द्वारा उपयोग की जा रही वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं ।
- (क) संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम, सफाई कीड़ों के नियंत्रण एवं रोकथाम, कृत्रिम जीवों सहित हवाईअड्डे के लोक स्वास्थ्य के संबंध में विमानतल स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन लाइसेंस धारक, उसके एजेंट अथवा नौकरों को करना होगा ।
- (ख) यदि लाइसेंसधारक के लिए कार्य रहे व्यक्ति बीमार हैं अथवा बीमार होने की आशंका है अथवा किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हैं तो लाइसेंसधारक इसकी सूचना विमानतल स्वास्थ्य अधिकारी को देगा ।विमानतल स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति अथवा उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का चिकित्सा परीक्षण करेगा तथा आवश्यक प्रतीत होने वाले निवारक उपाय अथवा सावधानी बरतने का निर्देश देगा ।
- (ग) विमानतल स्वास्थ्य अधिकारी की सहमति के बिना लाइसेंसधारक उसके एजेंट एवं नौकर किसी सामग्री अथवा रखी हुई चीजों अथवा उन्हें नष्ट करना अथवा भूमि पर रखी वस्तु जो मच्छरों को जन्म देने अथवा प्रवेश करने से रोकती है के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे ।

(घ) लाइसेंसधारक उसके एजेंट अथवा नौकर विमानतल क्षेत्र में जल संसाधनों एवं जलनिकाय सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करेंगे जिससे जनस्वास्थ्य के लिए अस्वच्छ स्थिति पैदा न हो ।

(ङ) प्राधिकरण की राय में लाइसेंसधारक द्वारा उपर्युक्त १ से V में दी गई शतांश के अनुपालन में असफल रहने, लापरवाही अथवा दोषी पाए जाने पर प्राधिकरण को यह अधिकार है कि बिना किसी मुआवजे या हर्जाने के भुगतान किए परिसर को अपने अधिकार में ले सकता है तथा अनुबन्ध के निष्पादन हेतु लाइसेंसधारक द्वारा जमा राशि या उसके किसी हिस्से को जब्त कर सकता है ।

10. लाइसेंसधारक अच्छे चरित्र एवं सद्व्यवहार करने वाले दक्ष नौकरों को ही अपने व्यापार के लिए नियुक्त करेगा । वह लिखित में प्राधिकरण को उनके नाम, आयु, निवास, नमूना हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी का विवरण देगा प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को कार्य पर रखने से मना कर सकता है जो उसकी नजर में गलत हैं लाइसेंसधारक द्वारा नियुक्त कार्मिक प्राधिकरण से सामान्य अनुशासन के अधीन रहेंगे तथा प्रवेश तथा निकास बिन्दुओं टायलेट व वाशरूम के उपयोग के संबंध में प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराएगा । वह काम पर रखने से पहले सभी व्यक्तियों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन करवाएगा ।

11. (ए) लाइसेंसधारक को परिसर में पर्याप्त संख्या में कार्बनडाइआक्साइड के अग्निशमन यंत्र जो कम से कम २०५ कि।ग्रा। का हो, व्यापार आरंभ करने से पहले अपनी लागत से स्थापित करवाने होंगे । (परिसर के हिसाब से जैसा अग्निशमन अधिकारी द्वारा नश्चिती किया जाए अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित)

(बी)परिसर में लकड़ी के पार्टेशन/ज्वलनशील सामग्री की अनुमति नहीं होगी । दूकान/ कार्यालय परिसर के विभाजन हेतु आवश्यक सामग्री भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण के अनुसार होनी चाहिए तथा इसकी भारतीय विमानपत्तन से पूर्व अनुमति ली जाए ।

(डी) लाइसेंसधारक को परिसर में खुली आग अथवा ऐसी किसी लाइट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी ।

12. लाइसेंसधारक विमानतल परिसर अथवा इसके किसी भाग को क्षति नहीं पहुंचाएगा । परिसर को जानबूझकर अथवा लाइसेंसधारक, उसके कर्मचारियों अथवा आमंत्रित व्यक्तियों या ग्राहकों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने पर प्राधिकरण क्षति की मरम्मत अथवा उसका रिप्लेसमेंट कर सकता है तथा लाइसेंसधारक को उसकी कीमत की प्रतिपूर्ति अथवा रिप्लेस करने का आदेश दे सकती है ।

13. लाइसेंसधारक परिसर में भारी वस्तुएं नहीं रखेगा अथवा लाएगा जो परिसर को क्षति अथवा नुकसान पहुंचाते हों तथा जब तक अनुज्ञा के निष्पादन हेतु आवश्यक न हों, ज्वलनशील प्रकृति के सामान परिसर में नहीं रखेगा ।

14(ए) लाइसेंसधारक चाय, कॉफी अथवा खाना गर्म करने के लिए परिसर में विद्युत हीटर, टोस्टर तथा अन्य संबद्ध उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा जब तक संविदात्मक दायित्वों के निष्पादन हेतु अनुबन्ध में विशेषरूप से वर्णन न किया गया हो ।

(बी) टर्मिनल/ लाइसेंस परिसर में उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों की हैंडलिंग का आवश्यक प्रशिक्षण लाइसेंसधारक परिसर में तैनात कर्मचारियों को दिलाएगा । लाइसेंस के जारी रहने के दौरान लाइसेंसधारक उसके द्वारा कार्य पर रखे गए सभी कामगारों का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इन्श्योरेन्स कम्पनी से बीमा कराएगा तथा प्राधिकरण द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण हेतु संबंधित बीमा पॉलिसियों एवं प्रीमियम रसीद उपलब्ध कराएगा ।

15. लाइसेंस की इन शर्तों को तोड़ने के संबंध में यदि कुछ छोटी शिकायतें आ रही हैं तथा प्राधिकरण की राय में जिनके कारण इस लाइसेंस को निरस्त किया जाना आवश्यक नहीं है तो प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार द्वारा लाइसेंस द्वारा जमा सुरक्षा राशि में से प्रतिपूर्ति कर सकता है । इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी होगा ।

16. लाइसेंसधारक परिसर में सार्वजनिक अथवा निजी नीलामी नहीं करेगा अथवा इसके आयोजन की अनुमति नहीं देगा ।

17. लाइसेंसधारक वस्तुओं अथवा इनके टैग पर लिखे हुए मूल्य पर ही परिसर में वस्तुएं बेचेगा तथा निर्माता अथवा सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य नहीं होना चाहिए तथा इन्हीं वस्तुओं के लिए बाजार में लिए जा रहे रेट से अधिक रेट नहीं होना चाहिए । प्राधिकरण इसके लिए लाइसेंसधारक से कारण पूछ सकती है अथवा किसी वस्तु/वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर सकती है । यदि प्राधिकरण की राय में किसी ग्राहक से किसी वस्तु के निर्धारित

मूल्य से अधिक कीमत ली गई है तो उसको अधिक चार्ज किए गए मूल्य को वापस करना होगा।

18. लाइसेंसधारक के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह वस्तुएं अपने स्टॉक में रखे तथा वह वितरण का इरादा रखता है तो उसको वितरित करे तथा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग या/ और केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग अथवा जिस राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में एयरपोर्ट स्थित है उनके निबन्धन एवं शर्तों के आधार पर साहित्य को प्रदर्शित करे।
19. लाइसेंसधारक के लिए ऐसी किताबों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों अथवा मूर्तियों, प्रतिमाओं या वस्तुओं जो अनैतिक, अभद्र, अनुचित अथवा आपत्तिजनक हों उनको बेचना, स्टॉक में रखना प्रदर्शित करना मना है। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा लाइसेंसधारक पर बाध्यकारी होगा तथा यह किसी विवाद या समीक्षा का विषय नहीं होगा। यदि प्राधिकरण यह निर्णय करता है कि इन वस्तुओं को रखना, प्रकाशित करना या बेचना आपत्तिजनक है तो किसी विधिक/अनुशासनिक कार्रवाई के अतिरिक्त लाइसेंसधारक को ऐसी किताब, जर्नल अथवा वस्तुओं को तुरंत परिसर से हटाने का निर्देश देगा।
20. लाइसेंसधारक परिसर के अंदर किसी मुख्य स्थान पर एक शिकायत पुस्तिका रखेगा तथा जो आसानी से शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति की पहुँच में आ जाए तथा उक्त पुस्तिका पखवाड़े में एक बार निदेशक विमानपत्तन द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहनी चाहिए।
21. विमानतल अथवा किसी एयरलाइन्स में तालाबंदी या हड़ताल के कारण यदि लाइसेंसधारक कार्य करने में असफल रहता है या उसका व्यापार प्रभावित होता है तो इस दौरान लाइसेंसधारक को हुए नुकसान के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं है यद्यपि, एयरपोर्ट पर आगंतुकों पर बैन, प्राकृतिक आपदाओं अथवा एयरपोर्ट संचालन/ सम्पूर्ण एयरपोर्ट ऑपरेशन के बंद करने के कारण भाविप्रा द्वारा समय समय पर निर्धारित नीतियों के अनुसार लाइसेन्स फीस में छूट दी सकती है।
22. सरकार के नियमों/ आदेश/ विनियमों के कारण यदि लाइसेंसधारक को एक अथवा अधिक वस्तुओं को बेचने से मना किया जाता है तो इस कारण लाइसेंसधारक को हुए नुकसान के लिए प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं है, तथा लाइसेंसधारक को फीस में कोई छूट अथवा अतिरिक्त सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
23. आपातकाल में जब कभी निदेशक विमानपत्तन चाबियों के उपयोग की मांग करते हैं तो लाइसेंसधारक को परिसर की डुप्लीकेट चाबियां प्राधिकरण के पास रखनी होगी।
24. प्राधिकरण व्यापारियों के किसी संगठन को मान्यता नहीं देता है तथा लाइसेन्स के संबंध में निबंधन व शर्तों के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक बातचीत केवल लाइसेंसधारक के साथ अकेले में की जाएगी। सामूहिक रूप से कोई बातचीत नहीं की जाएगी।
25. लाइसेंस की अवधि खत्म होने अथवा लाइसेंसधारक द्वारा नियमों को तोड़ने पर प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस निरस्त किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गए फर्नीचर, फिटिंग्स,

उपकरणों सहित अच्छी हालत में परिसर को लाइसेंसधारक प्राधिकरण को सौंपेगा। लाइसेंसधारक अपने सामान व सामग्री को तुरंत परिसर से हटाएगा। ऐसा करने में असफल रहने पर प्राधिकरण लाइसेंसधारक की लागत एवं जोखिम पर उक्त सामान को हटवाने का अधिकार रखता है तथा उक्त सामान को हटवाने के लिए भुगतान की मांग कर सकता है। यदि उक्त भुगतान 10 दिन में नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण लागत की वसूली के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा लाइसेंसधारक के सामान को नीलाम करने का अधिकार रखता है। ऐसा किए जाने पर लाइसेंसधारक कोई आपत्ति करने का हकदार नहीं होगा।

26. लाइसेंस किसी भी स्थान/ भवन /भूमि/ बगीचे/टैंक परिसर पर लाइसेंसधारक को कोई अधिकार नहीं देता बल्कि इसमें दी गई शर्तों के अनुरूप इसे केवल एक लाइसेंस माना जाएगा।
27. प्राधिकरण, उसके कार्मिक एवं एजेंट उक्त परिसर में प्रवेश का सम्पूर्ण अधिकार रखते हैं।
28. लोक परिसर (गैर प्राधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम 1971 तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों जो वर्तमान में लागू हैं या जो बाद में लागू होंगे वे उक्त अधिनियम में दिये गए सभी मामलों पर लागू होंगे।
29. इस अनुबंध के संबंध में सभी प्रकार के विवाद एवं मतभेद प्रथमतः विमानतल पर उपलब्ध विवाद निवारण समिति (डी.आर.सी.) को रेफर किया जाएगा। जिसके लिए पार्टी से लिखित आवेदन प्राप्त करना होगा जिसमें सभी बिन्दु स्पष्ट किए गए हों। यदि मामलों का निबटारा 45 दिनों में नहीं हो पाता है तो मामला प्राधिकरण के अध्यक्ष/ सदस्य द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति को सौंपा जाएगा। नियुक्त किए गए मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 लागू होगा। एक बार मध्यस्थ प्रक्रिया चालू होने पर, डीआरसी प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। यह कोई महत्व नहीं रखता है कि उक्त के अनुसार नियुक्त किया गया मध्यस्थ प्राधिकरण का कर्मचारी रहा है तथा मध्यस्थ की नियुक्ति को इस आधार पर विधि द्वारा स्थापित किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
30. किसी विवाद की स्थिति में मजबूरन कोई पार्टी विधिक कार्रवाई प्रारम्भ करती है तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार विमानतल स्थित शहर/ गाँव/ कस्बा में होगा।

(लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर)

सिविल हवाईअड्डा, जम्मू पर सुरक्षा हाल में प्रथम तल पर कश्मीरी पारंपरिक पैकड
खाद्य रीटेल स्टोर हेतु Annexure-A एवं Annexure- B

कृपया अंग्रेजी अनुवाद में देखने का श्रम करें।